आरईसी
REC
Endless energy. Infinite possibilities.
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
Rural Electrification Corporation Limited
(भारत सरकार का उद्यम / A Government of India Enterprise)

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता

1. परिचय

1.1 इस आचार संहिता ("संहिता") को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) की "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" कहा जाएगा।

1.2 यह संहिता मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के दृष्टिकोण और मूल्यों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है।

1.3 इस संहिता के अंतर्गत आने वाले मामले कंपनी, उसके हितधारकों और व्यावसायिक भागीदारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा ये आवश्यक हैं ताकि व्यवसाय कंपनी के बताए गए मूल्यों के अनुसार संचालित हो।

1.4 बोर्ड के सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता अब विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीबद्ध समझौतों के संशोधित खंड 49 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार किया गया है, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के शेयर ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध हैं।

1.5 कंपनी के पास वर्तमान में आचरण, अनुशासन और अपील नियम ("सीडीए नियम") हैं, जो पूर्णकालिक निदेशकों सहित कंपनी के सभी स्थायी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करते हैं, लेकिन गैर-पूर्णकालिक निदेशकों और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत स्थायी आदेशों द्वारा शासित लोगों को छोड़कर। पूर्णकालिक निदेशकों, केएमपी और बोर्ड स्तर से नीचे के वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में, इस संहिता को सीडीए नियमों के साथ पढ़ा जाए।

1.6 यह **28 मई, 2015** से प्रभावी होगा (निदेशक मण्डल की मंजूरी की तारीख)

2. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ:

2.1 "बोर्ड के सदस्य" शब्द का अर्थ कंपनी के निदेशक मण्डल के निदेशक होंगे।

2.2 शब्द "पूर्णकालिक निदेशक" या "कार्यात्मक निदेशक" कंपनी के निदेशक मण्डल के निदेशक होंगे जो कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में हैं।

2.3 "अंशकालिक निदेशक" शब्द का अर्थ कंपनी के निदेशक मण्डल के निदेशकों से होगा जो कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं और इसमें स्वतंत्र निदेशक और सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं।

2.4 शब्द "स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ एक स्वतंत्र निदेशक होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(47) और धारा 149(6) और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 (II)(बी) में परिभाषित किया गया है जहां कंपनी के शेयर समय-समय पर यथा संशोधित ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध हैं।

2.5 शब्द "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) में परिभाषित है।

2.6 शब्द "संबंधी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियम, 2014 के नियम 4 में परिभाषित 'संबंधी' होगा। (परिशिष्ट -I देखें)।

2.7 शब्द "वरिष्ठ प्रबंधन" का अर्थ गैर-बोर्ड सदस्य है और इसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक और कंपनी के अन्य विभागों के प्रमुख शामिल हैं।

2.8 "कंपनी" शब्द का अर्थ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड होगा।

टिप्पणी: इस संहिता में, पुल्लिंग को प्रभावित करने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग शामिल होगा और एकवचन को महत्व देने वाले शब्दों में बहुवचन या इसके विपरीत शामिल होगा।

3. प्रयोज्यता

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कर्मियों पर लागू होगी:

क) कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशक।

ख) सभी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक और सरकारी नामित निदेशक सहित) जब तक कि उन्हें इस संहिता के कुछ प्रावधानों से विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)।

घ) कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन।

4. प्रमुख आवश्यकताएँ:

4.1 किसी व्यवसाय के लिए नैतिक व्यावसायिक आचरण महत्वपूर्ण है। तदनुसार, बोर्ड के सदस्यों, केएमपी और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संहिता को पढ़ें और समझें और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में इन मानकों को बनाए रखें। वे कंपनी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रदत्त प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करेंगे और निम्नलिखित का पालन करेंगे:

i. अपनी सभी गतिविधियों और व्यवहारों में सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए, निष्पक्ष, उचित और वास्तविक तरीके से अत्यंत सावधानी, कौशल और परिश्रम के साथ कार्य करेंगे।

ii.पेशेवर, विनम्र और सम्मानजनक तरीके से आचरण करें और अपनी आधिकारिक स्थिति का अनुचित लाभ न उठाएं;

iii. जिन देशों में कंपनी संचालित होती है, उन देशों के लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के भीतर सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करें।

iv. धोखाधड़ी या धोखे से मुक्त और स्वीकृत पेशेवर मानकों की पुष्टि करते हुए नैतिक तरीके से कार्य करेगा। वे अपने निर्णय की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना प्रत्ययी दायित्वों को भी पूरा करेंगे।

v. नैतिक आचरण में व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों के बीच हितों के वास्तविक या स्पष्ट टकराव का नैतिक प्रबंधन शामिल है।

vi. कंपनी की संचार और अन्य नीतियों का अनुपालन;

vii. अपने स्वतंत्र निर्णय को अधीन किए बिना, सद्भाव में, जिम्मेदारी से, उचित देखभाल, सक्षमता और परिश्रम के साथ कार्य करें;

viii.कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना और उसके प्रति अपने प्रत्ययी दायित्वों को पूरा करना;

ix. ईमानदारी से, निष्पक्षता से, नैतिक रूप से और ईमानदारी से कार्य करें;

x. व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी की संपत्ति या पद का उपयोग न करें।

xi निदेशक/केएमपी/वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में उन्हें प्राप्त किसी भी जानकारी या अवसर का उपयोग इस तरह से न करें जो कंपनी के हितों के लिए हानिकारक हो।

xii. कपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए कार्य करें।

xiii. किसी ऐसे विषय पर कोई भी निर्णय लेने में शामिल नहीं होगा जिसमें हितों का टकराव उत्पन्न हो या जो उसकी राय में उत्पन्न होने की संभावना हो।

xiv. सभी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन, यदि कोई हो, से संबंधित बोर्ड को प्रकटीकरण करना होगा, जहां उनके व्यक्तिगत हित हैं जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव हो सकते हैं।

xv. बोर्ड के समक्ष आने वाले किसी भी मामले पर चर्चा, मतदान या अन्यथा निर्णय को प्रभावित करने से बचना चाहिए जिसमें उनके हितों का टकराव या संभावित टकराव हो सकता है;

xvi. लेखापरीक्षा समिति और/या बोर्ड की मंजूरी प्राप्त किए बिना और परिशिष्ट – II में उल्लिखित संबंधित पार्टी लेन-देन के लिए जहां भी आवश्यक हो, आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा।

xvii. ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता के साथ ऐसे किसी भी सौदे से बचना चाहिए जो पेशेवर, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी आधार पर व्यापार करने की क्षमता से समझौता करता है या जो बोर्ड के सदस्यों / कंपनी द्वारा किए जाने वाले विवेकाधीन निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

xviii. कंपनी से संबंधित किसी भी व्यावसायिक सौदे में कोई व्यक्तिगत और/या वित्तीय हित रखने से बचना चाहिए।

xix. ऐसा कोई पद या नौकरी नहीं रखेगा या बाहरी व्यवसाय या अन्य हित में संलग्न नहीं होगा जो कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल हो।

xx. कॉर्पोरेट संपत्ति, सूचना या स्थिति के उपयोग के माध्यम से खोजे गए अवसरों का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शोषण नहीं करेंगे, जब तक कि कंपनी के निदेशक मण्डल को लिखित रूप में अवसर का पूरी तरह से प्रकटीकरण नहीं किया जाता है और बोर्ड ऐसे अवसर की तलाश करने और उसे अनुमति देने से इनकार नहीं करता है। ऐसे अवसर का लाभ उठाने के लिए।

xxi. ग्राहकों, विक्रेताओं, सलाहकारों आदि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रस्ताव, भुगतान करने का वादा, या किसी भी पैसे, उपहार या किसी भी मूल्य का भुगतान करने के लिए प्राधिकरण की मांग या स्वीकार नहीं करेगा, जिसे किसी भी व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करने का इरादा माना जाता है। कोई

कार्य या कार्य करने में विफलता, धोखाधड़ी की कोई प्रतिबद्धता, या किसी धोखाधड़ी की प्रतिबद्धता का अवसर।

xxii. ऐसा कोई बयान नहीं देगा जिसका सरकार या कंपनी की किसी नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना हो या जो कंपनी और सभी हितधारकों सहित जनता के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम हो।

बशर्ते कि इस खंड में निर्दिष्ट कुछ भी बोर्ड सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा दिए गए किसी भी बयान या व्यक्त किए गए विचारों पर लागू नहीं होगा जो प्रकृति में पूरी तरह से तथ्यात्मक हैं, या उनकी आधिकारिक क्षमता में या उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन में दिए गए हैं।

xxiii. नैतिक अधमता से जुड़ा कोई अपराध नहीं करेगा।

xxiv. अपनी सेवा के दौरान प्राप्त कंपनी के मामलों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता का सम्मान करें, सिवाय इसके कि जब ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण करने के लिए अधिकृत या कानूनी रूप से आवश्यक हो।

xxv. अपनी सेवा के दौरान प्राप्त गोपनीय जानकारी का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ या किसी अन्य संस्था के लाभ के लिए नहीं करें।

xxvi. उच्च नैतिक मानकों और अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता की संस्कृति बनाने और बनाए रखने में सहायता करें।

xxvii. सदस्य की जानकारी में कोई भी जानकारी जो निर्णय लेने से संबंधित हो या कंपनी के लिए अन्यथा महत्वपूर्ण हो, बोर्ड को उचित और समय पर सूचित रखें।

xxviii. बोर्ड के अन्य सदस्यों/केएमपी/वरिष्ठ प्रबंधन और कंपनी से जुड़े अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मान, गरिमा, निष्पक्षता और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करें।

4.2 निदेशक के कर्तव्य :

कंपनी के निदेशक:

i. समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी के लेखों के अनुसार कार्य करेंगे;

ii. कंपनी के समग्र रूप से अपने सदस्यों के लाभ के लिए, कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए और कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय के सर्वोत्तम हित में और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करेंगे;

iii. अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित एवं उचित सावधानी, कौशल एवं परिश्रम के साथ करेगा तथा स्वतंत्र निर्णय लेगा;

iv. ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होगा जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो जो कंपनी के हित के साथ टकराव करता हो या संभवतः टकराव कर सकता हो;

v. स्वयं अथवा अपने रिश्तेदारों, साझेदारों अथवा सहयोगियों को कोई अनुचित लाभ या फायदा नहीं पहुंचाएगा अथवा पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा और यदि ऐसा निदेशक कोई अनुचित लाभ अर्जित करने का दोषी पाया जाता है, तो वह उस लाभ के बराबर राशि कंपनी को अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

vi. अपना पद नहीं सौंपेगा और इस प्रकार किया गया कोई भी कार्यभार शून्य होगा;

4.3 स्वतंत्र निदेशकों के विशिष्ट कर्तव्य:

स्वतंत्र निदेशक करेंगे—

1) उचित प्रेरण करना और कंपनी के साथ अपने कौशल, ज्ञान और परिचितता को नियमित रूप से अद्यतन और रिफ्रेश करना;

2) जानकारी का उचित स्पष्टीकरण या विस्तार मांगें और, जहां आवश्यक हो, कंपनी के खर्च पर बाहरी विशेषज्ञों की उचित पेशेवर सलाह और राय लें और उसका पालन करें;

3) निदेशक मण्डल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे, जिसके वह सदस्य है;

4) बोर्ड की उन समितियों में रचनात्मक और सक्रिय रूप से भाग लें जिनमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं;

5) कंपनी की आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करें;

6) जहां उन्हें कंपनी संचालित करने या किसी प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में समस्याएं हैं, तो सुनिश्चित करें कि इनका बोर्ड द्वारा समाधान किया गया है और, जिस हद तक उनका समाधान नहीं हुआ है, इस बात पर जोर दें कि उनकी समस्याओं को बोर्ड बैठक के मिनटों में दर्ज किया जाए;

7) कंपनी और जिस बाहरी वातावरण में वह काम करती है, उसके बारे में खुद को अच्छी तरह से सूचित रखें;

8) किसी अन्यथा उचित बोर्ड या बोर्ड की समिति के काम-काज में अनुचित तरीके से बाधा न डालना;

9) पर्याप्त ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि संबंधित पक्ष लेन-देन को मंजूरी देने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया है और खुद को आश्वस्त करें कि ये कंपनी के हित में हैं;

10) जांच करना और सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास पर्याप्त और कार्यात्मक निगरानी तंत्र है और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति के हित इस तरह के उपयोग के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं;

11) अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में समस्याओं को रिपोर्ट करें;

12) अपने अधिकार के भीतर कार्य करते हुए, कंपनी, शेयरधारकों और उसके कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा में सहायता करना;

13) वाणिज्यिक रहस्यों, प्रौद्योगिकियों, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाओं, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी सहित गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न करें, जब तक कि ऐसा प्रकटीकरण बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न हो या कानून द्वारा आवश्यक न हो।

5. संहिता की सामग्री

भाग I सामान्य नैतिक अनिवार्यताएँ

भाग II विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ

भाग III बोर्ड के सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना है। यह पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की योग्यता का आकलन करने के आधार के रूप में भी काम कर सकता है।

यह समझा जाता है कि आचार संहिता और आचरण दस्तावेज़ में कुछ शब्द और वाक्यांश अलग-अलग व्याख्याओं के अधीन हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

भाग – I

सामान्य नैतिक अनिवार्यताएँ

1. समाज और मानव कल्याण में योगदान दें

1.1 सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित यह सिद्धांत मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करने और सभी संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने के दायित्व की पुष्टि करता है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रयासों के उत्पादों का उपयोग सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से किया जाएगा, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और दूसरों के स्वास्थ्य और कल्याण पर हानिकारक प्रभावों से बचा जाएगा। एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण के अलावा, मानव कल्याण में एक सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण भी शामिल है।

1.2 इसलिए, सभी बोर्ड सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन जो कंपनी के उत्पादों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण और प्रचार के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। ईमानदार और भरोसेमंद बनें और सत्यनिष्ठा का अभ्यास करें।

2. ईमानदार और भरोसेमंद बनें और सत्यनिष्ठ बनने का प्रयास करें।

2.1 सत्यनिष्ठा और ईमानदारी विश्वास के आवश्यक घटक हैं। विश्वास के बिना कोई भी संगठन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता।

2.2 सभी बोर्ड सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन से सार्वजनिक उद्यम का व्यवसाय संचालित करते समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

3. निष्पक्ष रहें और भेदभाव न करें।

समानता, सहिष्णुता, दूसरों के प्रति सम्मान और समता एवं न्याय के सिद्धांत इस अनिवार्यता को नियंत्रित करते हैं। नस्ल, लिंग, धर्म, जाति, उम्र, विकलांगता, राष्ट्रीय मूल या ऐसे अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव, इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

4. गोपनीयता का सम्मान करें।

4.1 ईमानदारी का सिद्धांत सूचना की गोपनीयता के मुद्दों तक फैला हुआ है। नैतिक चिंता सभी हितधारकों के लिए गोपनीयता के सभी दायित्वों का सम्मान करना है, जब तक कि कानून की आवश्यकताओं या इस संहिता के अन्य सिद्धांतों द्वारा ऐसे दायित्वों से मुक्ति न मिल जाए।

4.2 इसलिए, सभी बोर्ड सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के व्यवसाय और मामलों के बारे में सभी गोपनीय अप्रकाशित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे।

5. प्रतिज्ञा एवं अभ्यास

5.1 गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठ और पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करना।

5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अथक प्रयास करें।

5.3 सतर्क रहें और कंपनी की वृद्धि और प्रतिष्ठा के लिए काम करें।

5.4 संगठन को गौरवान्वित करें और कंपनी के हितधारकों को मूल्य-आधारित सेवाएं प्रदान करें।.

5.5 कर्तव्यनिष्ठा से और बिना किसी भय या पक्षपात के कर्तव्य निभाओ।

भाग II

विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

1. प्रत्येक दिन आरईसी के विज़न, मिशन और मूल्यों का पालन करें

प्रत्येक दिन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के विजन, मिशन और मूल्यों का पालन करें जो इस प्रकार हैं:

मिशन एवं विजन

- त्वरित विकास के लिए और ग्रामीण और शहरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिजली की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना।
- देश में बिजली उत्पादन, बिजली संरक्षण, बिजली पारेषण और बिजली वितरण नेटवर्क को कवर करने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण और प्रचार के लिए एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-अनुकूल और विकास उन्मुख संगठन के रूप में कार्य करना।

मूल्य

- उत्कृष्टता हासिल करने का उत्साह और बदलाव का उत्साह
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता
- व्यक्तियों की गरिमा और क्षमता का सम्मान
- प्रतिबद्धताओं का कड़ाई से पालन
- प्रतिक्रिया की गति सुनिश्चित करें
- सीखने, रचनात्मकता और टीम-वर्क को बढ़ावा देना
- आरईसी में वफादारी और गर्व

2. पेशेवर कार्य की प्रक्रियाओं और उत्पादों दोनों में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और गरिमा प्राप्त करने का प्रयास करें:

उत्कृष्टता शायद एक पेशेवर का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यावसायिक कार्य में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और गरिमा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

3. पेशेवर दक्षता हासिल करें और बनाए रखें

उत्कृष्टता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो पेशेवर दक्षता प्राप्त करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए, सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे योग्यता के उचित स्तर के लिए मानक स्थापित करने में भाग लें और उन मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करें।

4. कानूनों का अनुपालन

कंपनी के बोर्ड सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन मौजूदा स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सभी लागू प्रावधानों का पालन करेंगे। उन्हें कंपनी के व्यवसाय से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का भी पालन करना चाहिए।

बोर्ड के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बोर्ड बैठकों, एजेंडा, त्रैमासिक रिपोर्ट और सर्कुलेशन द्वारा समाधान आदि से संबंधित बोर्ड प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

वे कंपनी पर लागू होने वाली सरकारी नीतियों के साथ-साथ समय-समय पर किए गए परिवर्तनों का भी अनुपालन करेंगे।

5. उचित पेशेवर समीक्षा स्वीकार करें और प्रदान करें

गुणवत्तापूर्ण पेशेवर कार्य पेशेवर समीक्षा और टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जब भी उचित हो, व्यक्तिगत सदस्यों को सहकर्मी समीक्षा की तलाश करनी चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए और साथ ही अपने काम की आलोचनात्मक समीक्षा भी प्रदान करनी चाहिए।

6. कामकाजी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्मिकों और संसाधनों का प्रबंधन करें

संगठनात्मक लीडर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि साथी कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल कामकाजी और व्यावसायिक माहौल बनाया जाए ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। बोर्ड के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन सभी कर्मचारियों की मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, कंपनी के कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करके उनके पेशेवर विकास को प्रोत्साहित और सहयोग करेंगे, जिससे कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

7. ईमानदार रहें और अन्य प्रलोभनों से बचें

बोर्ड के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार और अन्य कनेक्शनों के माध्यम से, कंपनी से जुड़े लेन-देन से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक की मांग नहीं करेंगे।इसमें महत्वपूर्ण मूल्य के उपहार या अन्य लाभ शामिल हैं, जिन्हें संगठन के व्यवसाय को प्रभावित करने या किसी एजेंसी को अनुबंध देने आदि के लिए कभी-कभी बढ़ाया जा सकता है।

8. कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन करें

कंपनी के भीतर संचार का प्रवाह सख्त नहीं है और लोग सभी स्तरों पर खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि किसी निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया में विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान होता है, लेकिन बहस समाप्त होने और नीतिगत सहमति स्थापित होने के बाद, सभी से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है, भले ही कुछ मामलों में कोई सहमत न हो इसके साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ मामलों में नीतियां कार्रवाई के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं, तो कुछ में वे कार्रवाई में बाधा डालने के लिए बनाई जाती हैं। सभी को अंतर को पहचानना सीखना चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि उन्हें उनका पालन करने की आवश्यकता क्यों है।

9. इस तरीके से आचरण करें कि कंपनी को श्रेय मिले

सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे ड्यूटी पर और बाहर दोनों ही समय इस तरह आचरण करें जिससे कंपनी की साख प्रतिबिंबित हो।उनके व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार का कुल योग कंपनी की स्थिति और संगठन के भीतर और बड़े पैमाने पर जनता द्वारा इसे समझने के तरीके पर असर डालता है।

10. कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह बनें

वे सभी जिनकी हम सेवा करते हैं, चाहे वे हमारे ग्राहक हों, जिनके बिना कंपनी व्यवसाय में नहीं होगी, शेयरधारक, जिनकी इसके व्यवसाय में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, कर्मचारी, जिनका यह सब करने में निहित स्वार्थ है, विक्रेता , जो कंपनी को समय पर डिलीवरी करने में सहायता करते हैं और कंपनी अपने कार्यों के लिए किस समाज के प्रति जिम्मेदार है - कंपनी के हितधारक हैं। इसलिए, सभी को हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह हैं।

11. अंदरूनी व्यापार की रोकथाम

बोर्ड के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन समय-समय पर संशोधित आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए संहिता का पालन करेंगे।

12. व्यावसायिक जोखिमों को पहचानें, कम करें और प्रबंधित करें

यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे का पालन करे, ताकि कंपनी के कार्य या परिचालन क्षेत्र से जुड़े व्यावसायिक जोखिमों की पहचान की जा सके तथा ऐसे जोखिमों के प्रबंधन की कंपनी-व्यापी प्रक्रिया में सहायता की जा सके, ताकि कंपनी अपने व्यापक व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

13. कंपनी की संपत्तियों की रक्षा करें

बोर्ड के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की कागज के रूप में धारित परिसंपत्तियों, सूचना और बौद्धिक अधिकारों सहित संपत्तियों की रक्षा करेंगे और व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे।

भाग – III

बोर्ड सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

1. **बोर्ड के सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में:** वे बोर्ड और समितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने का वचन देंगे, जिनमें वे कार्यरत हैं।

2. बोर्ड के सदस्यों के रूप में

2.1 कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव को उनके अन्य बोर्ड पदों, अन्य व्यवसाय के साथ संबंध और अन्य घटनाओं/परिस्थितियों/शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करने का वचन दें जो बोर्ड/बोर्ड समिति के कर्तव्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। बोर्ड का निर्णय कि क्या वे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध समझौते की स्वतंत्रता आवश्यकताओं, डीपीई के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके तहत बनाए गए नियमों को पूरा करते हैं।

2.2 वचन दें कि बोर्ड के अनिच्छुक सदस्यों की पूर्वानुमति के बिना, वे हितों के स्पष्ट टकराव से बचेंगे। हितों का टकराव तब हो सकता है जब उनके व्यक्तिगत हित हों जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। उदाहरणात्मक मामले ये हो सकते हैं:

संबंधित पार्टी लेन-देन: कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के साथ किसी भी लेन-देन या संबंध में प्रवेश करना जिसमें उनका वित्तीय या अन्य व्यक्तिगत हित है (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि परिवार के किसी सदस्य या संबंध या अन्य व्यक्ति या अन्य संगठन के माध्यम से जिसके साथ वे जुड़े हुए हैं)।

बाहरी निदेशक पद: किसी अन्य कंपनी के बोर्ड पर निदेशक पद स्वीकार करना जो कंपनी के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।

परामर्श/व्यवसाय/रोजगार: किसी भी गतिविधि में संलग्न होना (चाहे वह परामर्श सेवा प्रदान करने, व्यवसाय चलाने, रोजगार स्वीकार करने की प्रकृति का हो) जिससे कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों/जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप या टकराव होने की संभावना हो। उन्हें कंपनी के किसी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक के साथ किसी अन्य तरीके से निवेश या संबद्ध नहीं होना चाहिए।

व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक पद का उपयोग: व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद का उपयोग नहीं करना चाहिए।

3. व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता का अनुपालन

3.1 बोर्ड के सभी सदस्य, केएमपी और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इस संहिता के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे और बढ़ावा देंगे।

संगठन का भविष्य तकनीकी और नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर करता है। न केवल बोर्ड के सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए इस संहिता में व्यक्त सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है, बल्कि उनमें से प्रत्येक को दूसरों के पालन को प्रोत्साहित और सहयोग भी करना चाहिए।

3.2 इस संहिता के उल्लंघन को संगठन के साथ असंगत संबंध के रूप में मानें

पेशेवरों द्वारा आचार संहिता का पालन करना काफी हद तक और आम तौर पर एक स्वैच्छिक मामला है। हालाँकि, यदि बोर्ड के सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन में से कोई भी इस संहिता का पालन नहीं करता है, तो मामले की समीक्षा बोर्ड द्वारा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा। कंपनी डिफॉल्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

अनुवाद किया जा रहा है।